न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

निगरानी-5668/2018/भोपाल/हुजूर. प्र.क. .....

(126)

1. अमरसिंह आ. श्री गंगाराम
2. रुपसिंह आ. श्री गंगाराम
3. रमेश आ. श्री गंगाराम
सभी निवासी – ग्राम बढझिरी, तह. हुजूर
जिला भोपाल

.....निगरानीकर्तागण

आवेदक अभिभाषक
श्री अखिलेश तिवारी द्वारा।
भोपाल कैम्प में प्रस्तुत।
28/8/18

विरुद्ध

रामेश्वर वर्मा आ. रामसिंह
निवासी – ग्राम बढझिरी, तह. हुजूर
जिला भोपाल

...गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.संहिता 1959

महोदय,

निगरानीकर्तागण राजस्व निरीक्षक वृत्त 4 तहसील हुजुर जिला भोपाल द्वारा उनके प्रकरण कमांक 73/अ-12/17-18 में पारित आदेश दिनांक 28/03/2018 से परिवेदित एवं दुःखी होकर ठोस तथ्यों एवं विधिक आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष जानकारी दिनांक 25/07/2018 से समयावधि में यह निगरानी प्रस्तुत है।

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य

गैर निगरानीकर्ता रामेश्वर आत्मज रामसिंह द्वारा अपनी भूमि खसरा कमांक 232/2 रकबा 3.047 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक के समक्ष एक आवेदन 26/02/18 प्रस्तुत कर 28 मार्च 2018 को सीमांकन पूर्ण कराकर निगरानीकर्तागणो के विरुद्ध बेदखली का प्रकरण दर्ज करवाकर की गयी सीमांकन कार्यवाही को अम्ल करने आवेदन तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। इसी सीमांकन आदेश दिनांक 28/03/2018 के विरुद्ध निम्न ठोसो तथ्यो एवं आधारों पर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष समयावधि विधान की धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है।

अपील के आधार

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिविधान एवं म. प्र.भू.रा.संहिता 1959 के मानक सिद्धांतो के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5668/2018/भोपाल/भू-रा. जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त-4 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-03-2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त-4 तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 07-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । रीडर अध्यक्ष	